



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092026-276089
CG-DL-E-09092026-276089

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4817]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948

No. 4817]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2026

का.आ. 5007(अ).— राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (2025 का 25) की धारा 16 यह उपबंध करती है कि केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय खेल बोर्ड की सिफारिशों पर राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल को अधिसूचित करेगी;

और उक्त अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन अभी तक नहीं किया गया है;

और राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन के अभाव में, राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल की अधिसूचना से संबंधित धारा 16 के उपबंधों को प्रभावी करने में कठिनाई उत्पन्न हुई है;

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (2025 का 25) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त कठिनाई को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खेल शासन (कठिनाईयों का निराकरण) आदेश, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (2025 का 25) की धारा 16 के प्रयोजनों के लिए और जब तक उक्त अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन नहीं हो जाता है, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय खेल बोर्ड की सिफारिशों के बिना राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल को अधिसूचित कर सकेगी।

[फा. सं. 12-12/2025 शासन-1]

कुणाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Sports)

ORDER

New Delhi, the 9th September, 2026

S.O. 5007(E).— Whereas, section 16 of the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025) provides that the Central Government shall, on the recommendations of the National Sports Board, notify a National Sports Election Panel;

And whereas, the National Sports Board has not yet been constituted under the said Act;

And whereas, in the absence of the constitution of the National Sports Board, a difficulty has arisen in giving effect to the provisions of section 16 of the said act relating to the notification of the National Sports Election Panel;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025), the Central Government hereby makes the following Order to remove the aforesaid difficulty, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the National Sports Governance (Removal of Difficulties) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. For the purposes of section 16 of the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025), and until the National Sports Board is constituted under the said Act, the Central Government may notify the National Sports Election Panel without the recommendations of the National Sports Board.

[F. No. 12-12/2025 Gov-1]

KUNAL, Jt. Secy.